संख्या : बी–2–2318 / दस–2009–244(5) / 2008

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक 26 अगस्त, 2009

विषय : राज्य की समेकित निधि से धनराशियों का आहरण ।

महोदय,

राज्य की समेकित निधि से आहरण, इस निधि से सम्बन्धित या इसके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राज्यपाल महोदय द्वारा नियमावली बनाये जाने की भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) में निम्नवत् व्यवस्था है :–

> "The custody of the Consolidated Fund of a State and the Contingency Fund of a State, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of the State, their payment into the public account of the State and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by the Legislature of the State, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the Governor of the State."

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान / अंशदान / राज सहायता / सब्सिडी आदि सम्बन्धी नियमावली आलेख तैयार करके वित्त विभाग, न्याय विभाग तथा आवश्यकतानुसार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्बद्ध मंत्री जी, वित्त मंत्री जी तथा मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके विलम्बतम तीन माह में नियमावली सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी जाय ।

नियमावली की एक प्रति वित्त विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि माननीय मंत्रि–परिषद् को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जा सके ।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या : बी–2–2318(1)/दस–2009–244(5)/2008, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
3 सचिवालय के समस्त अनुभाग/समस्त वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग ।
4 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बी.एम.जोशी)
सचिव ।